PRESIDENT (राष्ट्रपति)



Who is president, and what is his/her constitutional position in Indian Polity?

राष्ट्रपति कौन है, और भारतीय राजनीति में उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है?



- The President of India is the head of state and the first citizen of India.
- भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक होता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपित भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापित होता है और उसे प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होता है।

- The President acts as a figurehead and represents the nation's unity.
- राष्ट्रपति एक नाममात्र के मुखिया के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र की एकता का प्रतिनिधित्व करता है।

- The President's powers are largely ceremonial, with real executive power vested in the Prime Minister and Cabinet.
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ अधिकांशतः औपचारिक होती हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं।

- Office of the President came into existence immediately after the constitution was adopted on 26 November 1949.
- 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आया।

Qualification for President

To be eligible to run for President, a person must meet the following criteria:/ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- Be a citizen of India. / भारत का नागरिक होना।
- Be at least 35 years old. / कम से कम 35 वर्ष का होना।
- Meet the qualifications to be a member of the Lok Sabha. / लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएँ पूरी करना।
- Not hold any office of profit under the Union or state government or any local or other public authority. / केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करना।

Qualification for President

• The nomination paper of a candidate must be signed by at least 50 electors as Proposers and 50 electors as Seconders./ किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाताओं और समर्थक के रूप में 50 मतदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।

• Every candidate has to make a security deposit of INR 15000 in RBI, liable to be forfeited in case candidate fails to secure 1/6th of the votes polled./ प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक में 15,000 रुपये की ज़मानत राशि जमा करनी होगी, जो कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहने पर ज़ब्त हो जाएगी।

Term and Vacancy कार्यकाल और रिक्ति

- The President serves a term of five years from the date they take office./ राष्ट्रपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है।
- However, they can resign anytime by sending a resignation letter to the Vice-President./ हालाँकि, वे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।
- He/she can be removed from office through the process of impeachment before the completion of their term./ उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
- The President can remain in office until their successor takes over and is eligible for re-election for any number of terms./ राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं और किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित होने के पात्र होते हैं।

Articles related to P0I

Article 52 : There shall be a President of India, who shall be the Head of the Union Executive./ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा।

Article 53: Executive power of union shall be vested in President./ संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

Article 54: Election of President./ राष्ट्रपति का चुनाव।

Article 55: manner of Election of President. / राष्ट्रपति के चुनाव की रीति।

- » Indirect election / अप्रत्यक्ष चुनाव
- » voting done by secret ballot / गुप्त मतदान द्वारा मतदान

How is the President of India Elected?

• The President is elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both the Houses of Parliament and the elected members of the Legislative Assemblies of States and the Union Territories of Delhi and Pondicherry./ राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।



- Those nominated to both Houses of Parliament, state legislative assemblies, state legislative councils (if applicable), and the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry are not eligible to vote in the presidential election./ संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों (यदि लागू हो) और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के पात्र नहीं होते हैं।
- Members of the electoral college vote for the President in a system of proportional representation by means of a single transferable vote/ निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक कि प्रितिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं।

Value of Vote of an MLA (विधानसभा सदस्य के

वोट का मूल्य)



Value of Vote of an MLA =

Total Population of the State

Total Elected MLAs × 1000

विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य =

कुल राज्यकीय जनसंख्या

कुल निर्वाचित विधायक × 1000



Value of Vote of an MP (सांसद के वोट का मूल्य)

Value of Vote of an MP =

Total Value Of Votes Of All MLAs

Total Elected MPs

सांसद सदस्य के वोट का मूल्य =

सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य

कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या



Quota Formula for Winning the Presidential

Election (राष्ट्रपति चुनाव में विजेता का कोटा सूत्रू




Quota of Votes in President of India Elections भारत के राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का कोटा

To be declared elected to the office of president, a candidate must obtain a specified quota of votes. राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए, किसी उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट मत कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

The quota of votes can be expressed as follows: मतों का कोटा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

- ✓ Every member of the electoral college receives a single ballot paper. निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक ही मतपत्र प्राप्त होता है।
- ✓ During casting his vote, the voter is required to indicate his preferences by marking 1, 2, 3, 4, etc. against the names of candidates. मतदान करते समय, मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के आगे 1, 2, 3, 4 आदि चिह्न लगाकर अपनी प्राथमिकताएँ बतानी होती हैं।





Impeachment of President (Article 61)

- Impeachment process of president can be initiate in either house of Parliament./ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
- The authority to impeach the President rests solely with Parliament only for "violation of the constitution"/ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार केवल "संविधान के उल्लंघन" के लिए संसद के पास है।
- Impeachment of President is a quasi-judicial procedure in the Parliament./ राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

Procedure of Impeachment / महाभियोग की प्रक्रियाः

- President has right to appear & to be represented at such investigation.
- राष्ट्रपति को ऐसी जाँच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

- A 14 days prior notice should be given to the President.
- राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए।

- Charges should be signed by 1/4th members of the house in which process initiated./ जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की गई हो, उसके एक-चौथाई सदस्यों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- After this, the resolution should be passed by the special majority by both the houses (i.e. Two third of the total membership of that house)/ इसके बाद, प्रस्ताव को दोनों सदनों (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई) द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- No president has so far been impeached. / अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
- The nominated members of either house of parliament can participate / संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं।
- The elected members of the legislative assemblies of states and the UTs of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president / राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।





Time of holding election to fill vacancy / रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय

If the vacancy is created due to death, resignation, removal then: यदि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्ति उत्पन्न होती है, तो:

- Election must be held within 6 months till then, the vice- president act as president./ चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- >If vice president is not available, the CJI acts as acting president/ यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- >It CJI is also unavailable, then senior most judge of supreme court acts as acting president./ यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का विरष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- >Only acting CJI was m. Hidaytullah./ केवल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह थे।

Article 71

- Matters related to election of President and vice president.
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले।

- All doubts and disputes related to election of President and Vice President shall be inquired and settled by the Supreme Court whose decision is final.
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

Article 72

He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence in all cases:

वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सभी मामलों में क्षमा, विलंब, राहत और दंड में छूट दे सकता है, या उसकी सजा को निलंबित, माफ या लघुकृत कर सकता है:

- Where the punishment or sentence is by a court martial;
 जहाँ सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो;
- Where the punishment or sentence is for an offence against a Union law; जहाँ सजा या दंडादेश संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो;
- Where the sentence is a sentence of death.
 जहाँ सजा मृत्युदंड की हो।

Article 72

Pardoning power of President. / राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।



- The president's pardoning power operates independently of the judiciary.
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।
- This power is executive power. / यह शक्ति कार्यपालिका शक्ति है।
- The President does not function as a court of appeal when exercising this power
- इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

1.PARDON: It removes both the sentence and conviction and therefore completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.

क्षमा : यह सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है और इस प्रकार अपराधी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह मुक्त कर देता है।

2. COMMUTATION: It connotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. E.g. a death sentence could also be commuted to rigorous imprisonment.

दंड रूपांतरण : यह एक प्रकार की सजा के स्थान पर एक हल्की सजा के प्रतिस्थापन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को कठोर कारावास में भी बदला जा सकता है। 3.REMISSION: It denotes reducing the quantum of a sentence without changing its character. E.g., A sentence of two years of rigorous imprisonment may be reduced to one year.

दंड-परिमार्जन : इसका अर्थ है किसी सज़ा की प्रकृति में कोई बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को घटाकर एक वर्ष किया जा सकता है।

4. RESPITE: It implies awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a lady offender.

दंड-रियायतः इसका अर्थ है किसी विशेष कारण, जैसे कि किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या किसी महिला अपराधी के गर्भवती होने के कारण, मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देना। 5.REPRIEVE: It denotes a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to allow the convict time to seek pardon or commutation from the President.

दंड-स्थगन / फांसी की सजा पर अस्थायी रोक: इसका अर्थ है किसी सजा (विशेषकर मृत्यु-दंड) के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोकना।इसका उद्देश्य अपराधी को यह अवसर देना होता है कि वह राष्ट्रपति से क्षमा (Pardon) या दंड-रूपांतरण (Commutation) की मांग कर सके।



Judicial Powers of President

The President appoints the Chief Justice and the judges of the Supreme Court and high courts.

राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

Article 143 The President can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact therein.

अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है।

President Power to Issue Ordinance राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति



- Article 123 gives the President the authority to issue ordinances when Parliament is not in session./ अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।
- These ordinances carry the same legal force and effect as an act of Parliament but are temporary in nature. / इन अध्यादेशों में संसद के अधिनियम के समान ही कानूनी बल और प्रभाव होता है, लेकिन ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं।
- Introduced in 1861 and till 1947 about 400 ordinances were promulgated. / 1861 में लागू किए गए और 1947 तक लगभग 400 अध्यादेश जारी किए गए।

President Power to Issue Ordinance राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति



• The President can promulgate an ordinance only when both Lok Sabha and Rajya Sabha are not in session or when either Lok Sabha or Rajya Sabha is not in session. / राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में न हों या जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सत्र में न हो।

• An ordinance can be issued only on those subjects on which the Parliament can make laws/ अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।



- As per Article 111 of the Indian Constitution, the President of India holds three types of Veto Power while approving bills.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास विधेयकों को मंजूरी देते समय तीन प्रकार की वीटो शक्ति होती है।
- For any bill to become law, it must first be passed by both Houses of Parliament and then receive the President's assent.
- किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए, इसे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और फिर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।



- The Veto Power of President serves as a constitutional safeguard to ensure that legislation is carefully examined and does not conflict with the principles and spirit of the Constitution.
- राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है कि कानून की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और संविधान के सिद्धांतों और भावना के साथ संघर्ष न करे



Types of veto power of President:

The Veto Power of President is generally divided into four types:

- 1. Absolute Veto This refers to the complete rejection of a bill. The Executive withholds assent, and the bill fails to become law.
- पूर्ण वीटो यह एक बिल की पूर्ण अस्वीकृति को संदर्भित करता है। कार्यपालिका ने सहमति रोक दी है, और विधेयक कानून बनने में विफल रहता है
- 1. Qualified Veto In this case, the Executive's veto can be overturned if the legislature re-passes the bill with a higher majority than usual.



योग्य वीटो - इस मामले में, कार्यपालिका के वीटो को पलट दिया जा सकता है यदि विधायिका सामान्य से अधिक बहुमत के साथ बिल को फिर से पारित करती है।

3. **Suspensive Veto** – Here, the Executive returns the bill for reconsideration. If the legislature passes it again with an ordinary majority, the veto is set aside.

सम्पंसिव वीटो - यहां, कार्यपालिका पुनर्विचार के लिए बिल लौटाती है। यदि विधायिका इसे फिर से सामान्य बहुमत से पारित करती है, तो वीटो को रद्द कर दिया जाता है



4. Pocket Veto – This occurs when the Executive chooses not to take any action on the bill. By neither approving nor rejecting it, the bill remains pending indefinitely.

पॉकेट वीटो - यह तब होता है जब कार्यकारी बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है। न तो इसे मंजूरी देने और न ही खारिज करने से यह बिल अनिश्चित काल के लिए लंबित रहता है।

List of President of India till date

President

Term

- 1) Dr. Rajendra Prasad 1950-1962 (Longest serving President)
- 2) Dr. Sarvapalli Radhakrishnan 1962-1967
- 3) Dr. Zakir Hussain 1967-1969
- 4) V.V. Giri 1969-1974
- 5) Fakhruddin Ali Ahmad 1974 1977
- 6) B. D. Jatti 1977 (Acting President after

Fakhruddin's death)

7) Neelam Sanjiva Reddy

1977-1982 (only president elected unopposed)

8) Giani Zail singh

- 1982-1987

9) R. Vekataraman

- **1987-1992**
- 10) Dr. Shankar Dayal Sharma
 - **1992-1997**

11) K.R. Narayan

- 1997-2002

12) Dr A.P.J Abdul Kalam

- 2002-2007

13) Pratibha Patil

- 2007-2012

14) Pranab Mukherji

- 2012-2017

15) Ram Nath Kovind

- 2017-2022

16) Droupadi Murmu

2022- till date



Dr.Rajendra Prasad 1950 - 1962



Dr Sarvepalli Radhakrishnan 1962 - 1967



Dr Zakir Hussain 1967 – 1969



Varahagiri Venkata Giri 1969 - 1974




Varahagiri Venkata Giri 1974 - 1977



Neelam Sanjiva Reddy 1977 - 1982



Giani Zail Singh





Ramaswamy Venkataraman 1987 - 1992



Shankar Dayal Sharma 1992 - 1997



Kocheril Raman Narayanan 1997 - 2002



Dr. A.P.J. Abdul Kalam 2002 - 2007




Pratibha Patil

2007-2012



Pranab Mukherjee 2012- 2017



Shri Ram Nath Kovind 2017- 2022



Droupadi Murmu Now Present 2022-

1. Which of the following Articles of the Indian Constitution is the procedure for impeachment of the President of India mentioned? भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख

(a) 60

करता है?

- (b) 59
- (c) 62
- (d) 61

SSC CHSL 13-03-2023



CUESTION

- 2. Article 72 of the Indian Constitution is related with the power of the ____ to grant pardons, etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72___ की उस शक्ति से संबंधित है जिसके द्वारा क्षमा, दंड निलंबन, दंड में रियायत या परिवर्तन किया जा सकता है।
- (a) Chief Minister / मुख्यमंत्री
- (b) Governor / राज्यपाल
- (c) President / राष्ट्रपति
- (d) Prime Minister / प्रधानमंत्री

SSC CHSL 21-03-2023



Question.

3. Which Article of the Constitution of India provides for the power to the President to convene a joint sitting of both the Houses of Parliament? संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है?

- (a) Article 331 / अनुच्छेद 331
- (b) Article 105 / अनुच्छेद 105
- (c) Article 108 / अनुच्छेद 108
- (d) Article 85 / अनुच्छेद 85

SSC CPO 2022





4. Which of the following Articles of the Constitution of India states that "The President or the Governor of a State shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office"?

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह कहता है कि "राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा"?

- (a) Article 396 / अनुच्छेद 396
- (b) Article 361 / अनुच्छेद 361
- (c) Article 384 / अनुच्छेद 384
- (d) Article 352 / अनुच्छेद 352

SSC CHSL 16-04-2021



5. Assertion (A): The Constitution vests the Executive power of the Union in the President of India. / कथन (A): संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है।

Reason (R): The President of India is the constitutional head of the State. / कारण (R): भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं।

- (a) (A) is true, but (R) is false. / (A) सही है पर (R) गलत है।
- (b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A). / दोनों (A) और
- (R) सही हैं, परंतु (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). / दोनों (A) और
- (R) सही हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (d) (A) is false, but (R) is true. / (A) गलत है पर (R) सही है।

UPRO/ARO 2023




- 6. The Electoral College of the President consists of— राष्ट्रपति का निर्वाचन-मंडल निम्नलिखित से मिलकर बनता है—
- 1. Elected members of both Houses of Parliament / संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- 2. Elected members of both Houses of State Legislature / राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- 3. Elected members of the Legislative Assemblies of all States / सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- 4. Elected members of Legislative Assemblies of Delhi and Pondicherry / दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (a) 1, 2 and 3 are right / 1, 2 और 3 सही हैं
- (b) 1 and 3 are right / 1 और 3 सही हैं
- (c) 1, 2 and 4 are right / 1, 2 और 4 सही हैं
- (d) 1, 3 and 4 are right / 1, 3 और 4 सही हैं



- 7. The two Union Territories which have been given the right to take part in the election of the President of India by the 70th Amendment are—70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिए गए दो केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं?
- (a) Delhi and Chandigarh / दिल्ली और चंडीगढ़
- (b) Delhi and Pondicherry / दिल्ली और पुदुचेरी
- (c) Delhi and Daman & Diu / दिल्ली और दमन-दीव
- (d) Chandigarh and Pondicherry / चंडीगढ़ और पुदुचेरी

UPRP/ARO 2017



CUESTION !

8. In the Presidential Election 2022, the vote value of each member of Rajasthan Legislative Assembly was—

राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था?

- (a) 149
- (b) 132
- (c) 129
- (d) 116



RAS Pre 2023

Question |

9. If there is any dispute regarding the Presidential election, it can be referred to—

यदि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, तो उसे कहाँ संदर्भित किया जा सकता है?

- (a) Attorney General of India / भारत के महाधिवक्ता
- (b) Parliament / संसद
- (c) Supreme Court of India / भारत का उच्चतम न्यायालय
- (d) None of these / इनमें से कोई नहीं





- 10. To whom does the President of India submit his/her resignation? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं?
- (a) The Speaker of Lok Sabha / लोकसभा अध्यक्ष
- (b) The Vice-President of India / भारत के उपराष्ट्रपति
- (c) The Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (d) The Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री

Jharkhand PCS 2018





11. For how long can the Vice-President act as President when the President cannot perform his duties due to death, resignation, removal or other reasons?

यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन न कर सकें, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं?

- (a) Five years / पाँच वर्ष
- (b) One and a half years / डेढ़ वर्ष
- (c) One year / एक वर्ष
- (d) 6 months / छह महीने

Jharkhand PCS 2018



12. The Constitution authorizes the President to make provisions for discharge of duties of Governors in extraordinary circumstances under— संविधान राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों के पालन के लिए प्रावधान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है?

- (a) Article 160 / अनुच्छेद 160
- (b) Article 162 / अनुच्छेद 162
- (c) Article 165 / अनुच्छेद 165
- (d) Article 310 / अनुच्छेद 310







13. From which Article does the President of India derive his/her pardoning power?

भारत के राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त करते हैं?

- (a) Article 72 / अनुच्छेद 72
- (b) Article 71 / अनुच्छेद 71
- (c) Article 73 / अनुच्छेद 73
- (d) Article 74 / अनुच्छेद 74

MPPCS Pre 2021




CUESTION !

14. Who prepares the President's address to Parliament?

संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण की तैयारी कौन करता है?

- (a) President himself / स्वयं राष्ट्रपति
- (b) Speaker of Lok Sabha / लोकसभा अध्यक्ष
- (c) Chairman of Rajya Sabha / राज्यसभा अध्यक्ष
- (d) Central Cabinet / केंद्रीय मंत्रिमंडल





Anstron .

15. The only example of the unanimous election of the Indian President till date is—

अब तक भारत के राष्ट्रपति के निर्विरोध चयन का केवल एक उदाहरण कौन सा है?

- (a) Dr. Rajendra Prasad / डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (b) Dr. S. Radhakrishnan / डॉ. एस. राधाकृष्णन
- (c) Dr. Zakir Hussain / डॉ. जाकिर हुसैन
- (d) Neelam Sanjiva Reddy / नीलम संजीव रेड्डी



